माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 22.08.16 को प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण एवं जिला कल्याण पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक की कार्यवाहीः—

उपस्थितिः—

सूची संलग्न

बैठक प्रारंभ करते हुए माननीय मंत्री, महोदय का स्वागत किया गया तत्पश्चात समीक्षात्मक बैठक का उद्देश्य एवं कार्यावली की संक्षिप्त जानकारी दी गई।

सचिव के अनुरोध पर माननीय मंत्री महोदय द्वारा विभाग की संचालित योजनाओं एवं भविष्य की योजनाओं की लक्ष्य प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिए गए, जो निम्नवत् हैं:—

(i) विभागीय संकल्प सं0—4061 दिनांक—16.05.16 के आलोक में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृति के लंबित दावों का भुगतान 31, अगस्त 2016 तक कर दिया जाय।

(ii) जाँच के क्रम में फर्जी पाये जानेवाले संस्थान पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाए।

(iii) आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के निर्माण/जीर्णोद्धार की योजनाओं के लिए शौचालय—सह—बाथरूम, रनिंग वाटर आपूर्ति, विद्युतीकरण, नियमित रंग—रोगन एवं चाहरदिवारी इत्यादि को प्राथमिकता दी जाए।

(iv) आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के अधीक्षक का नाम एवं मोबाईल नम्बर संधारित किया जाए तथा प्रत्येक आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापन किया जाए।

(v) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एवं समेकित थरूहट विकास अभिकरण की योजनाओं को ससमय पूर्ण की जाए, जिससे समाज के अंतिम वर्ग के व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल सके।

(vi) अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु प्रस्ताव शीध्र समर्पित करने का निदेश अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों को दिया जाए।

(vii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों निर्माण के लिए यथा मुरौल एवं बोचहा, (मुजफ्फरपुर), बांका, सुपौल, शिवहर, शेखपुरा, दरभंगा आमस, (गया) कैमूर, किशनगंज, बांका एवं गया में प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध करायी जाए।

(viii) प्रत्येक पदाधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से करे ताकि विभाग कों अन्य विभागों बिहार सरकार के उत्कृष्ठ श्रेणी के विभागों में शुमार हो। वित्तीय अनियमिता से बचने के लिए जिला कल्याण कार्यालय में एक या दो बैंक खाता का संधारण किया जाए तथा रोकड़ पंजी को प्रतिदिन अद्यतन किया जाए।

तत्पश्चात् कार्यावली के अनुसार सचिव द्वारा समीक्षा की गई।

(1) **छात्रवृति योजना**

i. **आधार कार्ड योजनाः**– भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार छात्रवृति के लिए छात्र/छात्राओं का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। जिलावार समीक्षा के क्रम में पाया गया कि छात्र/छात्राओं के लिए आधार कार्ड बनाने का कार्य धीमी गति से चल रहा है। निदेश दिया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के आधार कार्ड की समीक्षा एवं अनुश्रवण नियमित रूप से किए जाए। संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ नियमित समीक्षा की जाय। इस कार्य को 30 सितम्बर, 2016 तक पूर्ण कर लिया जाए।

ii. **प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजनाः**– विभागीय संकल्प सं0–4061 दिनांक–16.05.16 के आलोक में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्ड के आधार पर छात्रवृति का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। जिला वार प्रगति निम्नवत पाई गईः–

कमांक	जिला का नाम	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना का प्रतिवेदन वर्ष–2014–15 एवं 2015–16					अभियुक्ति
		2014-15		2015-16			
		भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	भौतिक लक्ष्य	हार्ड कॉपी	भौतिक उपलब्धि	
1	पटना	7110	4650	8750	7426	5945	
2	नालंदा	6905	7624	8246		5836	
3	रोहतास	4060	2878	8474	4481	5657	
4	भभुआ	5462	6639	8434	6939	6566	
5	भोजपुर	1656	1473	2977		2528	
6	बक्सर	1763	1701	1593	1106	1023	
7	गया	6685	2875	13361		5536	
8	जहानाबाद	1480	1208	2508	2427	932	
9	अरवल	1856	1518	1709		628	
10	नवादा	289	578	3792	3407	1932	
11	औरंगाबाद	1438	1438	4272	4272	0	
12	सारण	433	272	3548	1850	1850	
13	सिवान	503	585	1184	641	375	
14	गोपालगंज	1452	1356	811		623	
15	मुजफ्फरपुर	3216	2743	2808	2244	1632	

क0	जिला का नाम	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना का प्रतिवेदन वर्ष–2014–15 एवं 2015–16					अभियुक्ति
		2014-15		2015-16			
		भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	भौतिक लक्ष्य	हार्ड कॉपी	भौतिक उपलब्धि	
16	सीतामढी	494	1661	2356	222	0	
17	शिवहर	159	397	286	177	170	
18	प0 चम्पारण	858	1421	2027	1750	532	
19	पू0 चम्पारण	1223	1093	1894		0	
20	वैशाली	2438	1969	2125	905	235	
21	दरभंगा	3605	1995	4690	2644	1257	
22	मधुवनी	507	592	2847	0	0	
23	समस्तीपुर	2697	3105	5960	0	0	
24	सहरसा	600	375	1293	581	581	
25	सुपौल	234	387	286	0	140	
26	मधेपुरा	194	79	469	0	0	
27	पूर्णियां	547	547	831	502	502	
28	अररिया	248	448	743	248	0	
29	किशनगंज	178	384	225	0	149	
30	कटिहार	1078	1211	1780	754	754	
31	भागलपुर	330	1992	1978	1344	554	
32	बॉका	199	572	558	0	160	
33	मुगेंर	117	1055	1122	802	0	
34	लखीसराय	280	737	695	0	239	
35	शेखपुरा	161	130	1705	1362	559	
36	जमुई	797	1124	1479	890	518	
37	खगड़िया	114	359	689	459	345	
38	बेगुसराय	428	782	3299	3165	0	
	मुख्यालय	17149	17149	0	0	0	
	कुल	78943	77102	111804	50598	47758	

जिलावार समीक्षा के क्रम पाया गया कि वर्ष 2015–16 के लिए औरंगाबाद, सीतामंढी, पू0 चम्पारण, मधुबनी, समस्तीपुर, मधेपुरा, अररिया, मुंगेर एवं बेगूसराय जिला में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति की राशि का वितरण शून्य है। राज्य स्तर पर वर्ष 2015–16 के लिए ऑन लाईन कुल 111804 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, हार्ड कॉपी के रूप में कुल 50598 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अबतक कुल 47758 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृति की राशि विमुक्त की गई है, जो लक्ष्य से काफी कम है।

मधुबनी, पूर्वी चम्पारण, एवं औरंगाबाद जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त आवेदन पत्रों की स्वीकृति जिला स्तरीय छात्रवृति समिति से प्राप्त कर संबधित संस्थान को R.T.G.S. के माध्यम से छात्रवृति की राशि का हस्तांतरण 15 दिनों के अन्दर कर दिया जाएगा। मधेपुरा जिला के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि जिला स्तरीय छात्रवृति समिति की बैठक दिनांक–27.08.2016 को निर्धारित है। जिला कल्याण पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा बताया गया कि सभी आवेदन पत्रों का हार्ड कॉपी एवं डाटाबेस प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। आवेदन पत्रों के लिए संबंधित संस्थानों से पत्राचार किया गया है।

समीक्षोपरांत सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक (कल्याण) एवं सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को निम्नांकित निदेश दिये गए :–

(a) प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना" के तहत प्राप्त शिकायतों का निराकरण एवं छात्रवृति का वितरण 31 अगस्त, 2016 के पूर्व करना सुनिशिचित किया जाए।

(b) विभाग के स्तर पर गठित जाँच टीमों के द्वारा 32 फर्जी संस्थानों को चिन्हित किया गया है। उनमें से सिर्फ 8 संस्थानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी यथा रोहतास, बक्सर, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, दरभंगा, पटना एवं नालन्दा को निदेश दिया गया कि छात्रों की सूची के साथ संस्थान पर थाना में प्रथम इत्तिला प्रतिवेदन (FIR) दर्ज की जाय एवं उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

(c) छात्रवृति वितरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी संबंधित संस्थान से आवेदन पत्र का डाटाबेस एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त कर लिया जाय तथा 31, अगस्त 2016 के पूर्व **जिला स्तरीय छात्रवृति समिति** की बैठक से स्वीकृति प्राप्त कर R.T.G.S. के माध्यम से छात्रवृति की राशि का हस्तांतरण करना सुनिशिचित किया जाए।

(d) जिला कल्याण पदाधिकारी सिवान, गोपालगंज, भभुआ, सुपौल एवं जमुई के द्वारा **अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं के लिए अतिरिक्त आवंटन की माँग की गई।** इस संबंध में निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

iii. DBT योजनाः– प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत प्रत्येक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नामांकित छात्र/छात्राओं का विस्तृत बैंक खाता संख्या उपलब्ध करायी जाय एवं वर्ग–ix एवं x के लिए एक्सेल सीट में प्रतिवेदन 15, सितम्बर, 2016 तक साफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी में भेजना सुनिशिचित किया जाय।

iv. प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजनाः– सभी जिला कल्याण पदाधिकारी का निदेश दिया गया कि प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत प्रत्येक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नामांकित छात्र/छात्राओं का विद्यालयवार सूचनाएँ संकलित समेकित प्रतिवेदन एक माह के अन्दर उपलब्ध करायेंगे।

v. मुख्य मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृति योजनाः– सभी जिला कल्याण पदाधिकारी का निदेश दिया गया कि वर्ष 2015–16 का मंधावृति वितरण का प्रतिवेदन समेकित कर उपलब्ध करायेंगे।

(2) आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का संचालन एवं निर्माण/जीर्णोद्धार

सचिव द्वारा बताया गया कि आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का संचालन हेतु विभागीय पत्रांक–4681 दिनांक–15.07.2016 एवं विभागीय पत्रांक–4680 दिनांक–15.07.2016 द्वारा विस्तृत मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई गई है। उक्त के आलोक में निम्नांकित निदेश दिए गएः–

(i) सभी आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के संचालन के लिए समिति का गठन 15, सितम्बर, 2016 तक कर लिया जाए। इन आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का नियमित निरीक्षण अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय उपनिदेशक(कल्याण) के द्वारा किया जाए।

(ii) सभी आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के आवश्यकतानुसार सामग्री क्रय के लिए समिति का गठन किया जाए। सामग्रियों के क्रय हेतु निविदा का प्रकाशन 15, सितम्बर, 2016 तक कर लिया जाए।

(iii) आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों के निर्माण/जीर्णोद्धार के लिए निम्नलिखित योजनाओं की प्राथमिकता दी जाएः–

- ✓ शौचालय–सह–बाथरूम,
- ✓ रनिंग वाटर आपूर्ति, एवं विद्युतिकरण
- ✓ नियमित रंग–रोगन एवं चाहरदिवारी इत्यादि

जीर्णोद्धार की योजनाओं के लिए कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग के माध्यम से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन तैयार कराकर प्रशासनिक स्वीकृति के लिए उपलब्ध कराया जाए।

अबतक **पटना, गया, कैमूर किशनगंज, सारण, नवादा** से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया, जिसकी स्वीकृति दी जा चुकी है। शेष जिलों को आवश्यकतानुसार प्रस्ताव समर्पित करने का निदेश दिया गया।

सभी आवासीय विद्यालयों/छात्रावास भवनों में वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वीकृत योजनाओं की विवरणी निम्न प्रकार है:–

कमांक	स्वीकृत योजना	अभियुक्ति
1	स्वीकृत सं0–22 दिनांक–18.07.2016 द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2016–17 में अनुसूचित जाति के लिए 4 आवासीय उच्च विद्यालयों (560 आसन वाले छात्रावास भवन सहित) यथा, **बक्सर, कुदरा (भभुआ) पौखरैरा (मुजफ्फरपुर), एवं रामनगर(मधुबनी)** एवं 3 छात्रावास भवनों (200 आसन वाले) यथा, **बिहारशरीफ में खण्दकपर, मुजफ्फरपुर में ठक्करबापा एवं दरभंगा में मोगलपुरा** का निर्माण की स्वीकृति दी गई है।	प्रत्येक आवासीय विद्यालय की लागत ₹1755.00 लाख है जबकि छात्रावास की लागत ₹737.00 लाख है।
2	विभागीय पत्रांक–19 दिनांक–29.06.2016 के द्वारा अनुसूचित जाति बालिका आवासीय उच्च विद्यालय चौतरवा, प0 चम्पारण के निर्माण के लिए व्यय हेतु प्रशासनिक स्वीकृति	₹1995.00 लाख
3	अनुसूचित जाति के 100 शैय्यावाले डा0 अम्बेदकर कल्याण बालक छात्रावास, मोतीहारा किशंनगंज की जीर्णोद्धार की स्वीकृति	₹61.,82लाख
4	आवासीय विद्यालय मोहनपुर, वजीरगंज, गया तथा बालक छात्रावास टेकारी गया की स्वीकृति	₹16.37लाख
5	कल्याण छात्रावास,सैदपुर पटना में जलापूर्ति एवं शौचालय के निर्माण/जीर्णोद्धार की स्वीकृति	₹69.91लाख
6	कल्याण छात्रावास, तुलसिया किशंनगंज के जीर्णोद्धार की स्वीकृति	₹10.36लाख
7	वित्तीय वर्ष–2016–17 में अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास खैरा,सारण(छपरा) के विशेष मरम्मति काय	₹55.81 लाख
8	कैमूर जिला में अवस्थित अनुसूचित जाति एवं अनुसचित जनजाति कल्याण के आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों के विशेष मरम्मति कार्य	₹124.60. लाख

विगत वर्षो 2014–15 एवं 2015–16 में स्वीकृत योजनाओं में से मुख्य रूप से गया, प0 चम्पारण, नवादा, भभुआ, गोपालगंज, मुंगेर, बक्सर, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना एवं जमुई में लंबित है। सभी जिला कल्याण पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय उपनिदेशक को निदेश दिया गया कि भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क कर योजनाओं को पूर्ण कराने के लिए नियमित निरीक्षण एवं अनुश्रवण करें तथा निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

(iv) **जमीन की उपलब्धताः–** सभी जिला कल्याण पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय उपनिदेशक(क) को निदेश दिया गया कि अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय यथा **मुरौल एवं बोचहा, (मुजफ्फरपुर), बांका, सुपौल, शिवहर, शेखपुरा, दरभंगा तथा आमस, (गया) एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के लिए किशनगंज, बांका एवं गया** में भूमि उपलब्ध करायी जाय। इसके अतिरिक्त कैमूर जिला में 1 बाबू जगजीवन राम योजना के तहत छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए।

सभी जिलों में संचालित आवासीय विद्यालयों का निर्माण अगले 5 वर्षो में किया जाना है। 720 आसन वाले 10+2 विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु कम से कम 3 से लेकर 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की जाए।

(v) **छात्रावास अधीक्षकों का नाम एवं विवरणीः–** संचालित छात्रावास के छात्रावास अधीक्षकों का नाम क्रमशः भागलपुर, दरभंगा, भभुआ, रोहतास, गया, नवादा, सिवान, गोपालगंज, अररिया एवं जमुई अर्थात कुल 10 जिलों से प्राप्त है। शेष जिलों से छात्रावास अधीक्षकों का नाम एवं मोबाईल नम्बर विहित प्रपत्र में 5, सितम्बर 2016 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(vi) **शिक्षकों का नियोजनः–** आवासीय विद्यालयों में **स्नातक स्तर के शिक्षकों के 322 रिक्त पदों** पर सेवानिवृत शिक्षकों को संविदा पर राज्य सरकार के आरक्षण नीतियों के अधीन नियोजित करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। इसकी सूचना रोस्टर के साथ सभी जिला पदाधिकारी, प्रमण्डलीय उपनिदेशक(कल्याण) एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है।

(3) **अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989**

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

(i) नियमावली–1995 के नियम–17 के आलोक में विभाग द्वारा निर्धारित रोस्टर के आलोक में इस वर्ष **पटना, रोहतास, बक्सर, गया, अरवल, नवादा, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, शेखपुरा एवं खगड़िया कुल 11** जिलों के द्वारा **''जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति'** की 2 बैठकें आयोजित की गई है। शेष जिलों से बैठक की सूचना अप्राप्त है। इस संबंध में सभी को निदेश दिया गया कि **''जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति''** की दूसरी बैठक 15, सितम्बर, 2016 तक कर ली जाए एवं बैठक की कार्यवाही विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

(ii) जिला स्तर पर Awarness Programme का आयोजन **पटना, नालन्दा, रोहतास, भभुआ, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, सारण, शिवहर, सहरसा, पूर्णियां, कटिहार, मुंगेर, शेखपुरा एवं खगडिया** में आयोजित किया गया है। इस संबंध में सभी को निदेश दिया गया कि Awarness Programme का आयोजन 15,सितम्बर, 2016 तक कर लिया जाए।

(iii) जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 में केवल नवादा जिला से 119 पीड़ितों को लाभ देने की सूचना प्राप्त है। सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अधिनियम–1989 के तहत अत्याचार के पीड़ितों /आश्रितों को राहत अनुदान की राशि नियमानुसार के भुगतान की जाए एवं व्यय विवरणी 31, अगस्त, 2016 तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। अगर इस मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो माँग पत्र भेजी जाए। लाभुकों की सूची का Hard cpoy एवं Soft copy उपलब्ध करायी जाए।

(iv) **दरभंगा, समस्तीपुर, नालन्दा, भभुआ, शिवहर, मुजफ्फरपुर, बक्सर, नवादा, जमुई, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, किशनगंज, शेखपुरा एवं कटिहार** जिला में "अनुमंडल स्तर पर उपखण्ड स्तरीय सर्तकता और अनुश्रवण समिति" का गठन किया गया है। सभी जिलों से "अनुमंडल स्तर पर उपखण्ड स्तरीय सर्तकता और अनुश्रवण समिति" का गठन कर विभाग को सूचना दी जाए एवं बैठक की कार्यवाही उपलब्ध करायी जाए।

(v) विशेष लोक अभियोजकों के कार्यो की समीक्षा **जमुई, मुंगेर, शिवहर, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, नालन्दा, बक्सर, सिवान, सहरसा एवं कटिहार** में की गई है। इस संबंध में सभी जिलों से विशेष लोक अभियोजकों के कार्यो की समीक्षा जिला पदाधिकारी के स्तर पर की जाए।

(vi) जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इस नियम के तहत 281 लाभुकों को ₹4500/– प्रति माह के दर से पेंशन योजना का लाभ दिया गया। इस सम्बन्ध में सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अधिनियम–1989 की धाराओं के अन्तर्गत विगत 5 वर्षो के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की हत्या के मामलों में आश्रित/विधवा को पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। विगत 5 वर्षों के हत्या के मामलों की संख्या, थाना काण्ड सं0 एवं पीडितों का नाम, पूरा पता तथा हत्या के मामलों में आश्रित/विधवा को पेंशन योजना का लाभ की संख्या एवं पूर्ण विवरणी 31, अगस्त, 2016 तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(4) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

सचिव के द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गया जिला के 16 प्रखण्डों के अन्तर्गत 225 ग्रामों में संचालित है। विभाग द्वारा वर्ष–2015–16 में कुल ₹12.50 करोड़ मात्र की स्वीकृति आधारभूत संरचना के लिए दी गई है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत पूर्व में 3721 योजनाओं का चयन किया गया है जिनमें से 3159 योजनाओं को पूर्ण किया गया है। शेष 562 चालू योजनाओं को 31 सितम्बर 2016 तक पूर्ण कर लिया जाय। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि वर्ष–2015–16 में आवंटित कुल ₹12.50 करोड़ की राशि के व्यय के लिए कार्य योजना

तैयार कर योजनाओं का कार्यान्वयन समय–सीमा के अन्दर की जाए एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध करायी जाए। उपनिदेशक कल्याण, गया प्रमंडल को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से प्रत्येक योजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा करेगें।

(5) **अनुसूचित जाति उपयोजना या अनुसूचित जनजाति उप योजना के तहत् विशेष केन्द्रीय सहायता योजनाः–** इन योजनाओं के तहत परियोजना प्रस्ताव अप्राप्त है अतः सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी के माध्यम से परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध करायी जाए।

(6) **वनबन्धु कल्याण योजनाः– इस योजना के तहत रोहतास, भभुआ, सारण, गोपालगंज, सहरसा, सुपौल, कटिहार, लखीसराय, जमुई** परियोजना प्रस्ताव प्राप्त है। शेष जिलों को निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी के माध्यम से परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध करायी जाए।

(7) समेकित थरूहट विकास अभिकरण, प0 चम्पारण

इस विभाग के माध्यम से समेकित थरूहट विकास अभिकरण, प0 चम्पारण में संचालित है। प0 चम्पारण के जनजाति (थारू जनजाति सहित) बाहुल्य प्रखण्डों यथा बगहा–2, रामनगर, गौनाहा एवं मैनाटाड़ में योजनाओं के कार्यन्वयन के लिए विगत वर्षो में कुल ₹4577.00 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से कुल ₹3100.00 लाख की राशि व्यय की सूचना प्राप्त है। अभिकरण द्वारा 256 योजनाओं के विरूद्ध 189 योजनाओं को पूर्ण किया गया है। शेष 67 लंबित योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कर लिया जाए, साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(8) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 एवं नियम–2007

निदेश दिया गया कि वनाधिकार अधिनियम के तहत् प्राप्त दावा का निष्पादन कर प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराई जाए।

सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि ग्राम पंचायत स्तर की समिति से प्राप्त दावों का निष्पादन कर अनुमंडल स्तर तथा जिला स्तर पर निर्णय लेते हुए जमीन का पट्टा का वितरण किया जाए। अस्वीकृत आवेदनों पर पुनः जाँच कर नियमानुसार विचार करने का निदेश दिया गया। बांका, रोहतास, कैमूर एवं गया जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अगली बैठक के पूर्व दावा प्राप्त कर उसका निष्पादन प्रत्येक स्तर से करा लिया जाए।

(9) महादलित विकास की योजना

निदेश दिया गया कि सभी जिला कल्याण पदाधिकारी बिहार महादलित विकास मिशन की योजनाएँ यथा, सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड का निर्माण, विशेष विद्यालय योजना एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का नियमित अनुश्रवण करें।

(10) प्राक् परीक्षा केन्द्र

निदेश दिया गया कि सभी प्राक् परीक्षा केन्द्रों में गुणवत्तापूर्वक एवं निर्धारित समय के अन्दर प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कि अनुसूचित जाति के अधिकतम छात्र–छात्रा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी जिला कल्याण पदाधिकारी एवं केन्द्र निदेशक समन्वय स्थापित कर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करेगें। प्राक् परीक्षा केन्द्र से सफल होनेवाले छात्र/छात्राओं का पूर्ण विवरणी विभाग को भेजने का निदेश दिया गया।

(11) माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलेः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि CWJC के 12 मामले लंबित हैं। इस संबंध में निदेश दिया गया कि आने वाले एक पक्ष के अन्दर सभी लंबित मामलों में प्रति शपथ पत्र दायर करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा इसकी सूचना विभाग को भेजी जाए ताकि समेकित प्रतिवेदन तैयार किया जा सके।

(12) ए.सी./डी.सी. एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र–

ए.सी./डी.सी. की प्रगति की समीक्षा की गई एवं पाया गया कि जिला मुख्यालयों में ए.सी. बिल के विरूद्ध डी.सी. बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा बहुत बड़ी राशि का अभी तक सामंजन नहीं हुआ है। गया, पटना, प0 चम्पारण मुगेंर, भभुआ सीतामंढी एवं जमुई में करोड़ों के बिल अभी भी असमायोजित है।

इस संबंध में निदेश दिया गया कि एक पक्ष के अन्दर सभी जिला कल्याण पदाधिकारी अभियान चलाकर डी.सी. बिल के लंबित मामलों का निष्पादन कर दें। साथ ही वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में प्राप्त आवंटन के आलोक में ए.सी./डी.सी. तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाए।

(13) सेवान्त लाभः–

सेवान्त लाभ की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सेवांत लाभ के बहुत सारे मामले लंबित है। जिसके कारण सेवानिवृत्त कर्मी माननीय उच्च न्यायालयं के शरण में चले जाते हैं। इस सम्बन्ध में निम्नांकित निदेश दिए गएः–

(i) सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों/उपनिदेशक अपने–अपने कार्यालयों में लंबित मामलों की समीक्षा कर लें एवं प्राथमिकता के आधार पर सेवांत लाभों का निष्पादन करें।

(ii) किसी भी सेवांत लाभ के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित किया जाता है अन्यथा कोई वित्तीय भार अधिष्ठापित किया जाता है तो इसकी जबावदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी एवं उनके वेतन से कटौती कर उसकी भारपाई की जायेगी।

(14) लम्बित विभागीय कार्यवाही:–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला कल्याण पदाधिकारी के 10, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी के 7 एवं अन्य के 15 मामले लंबित है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्रों के आलोक में कार्रवाई किया जाय।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी।

संतोष कुमार निराला
5/9/16

(संतोष कुमार निराला)
माननीय मंत्री
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

ज्ञापांक–1/निदे0 छात्रावास(बैठक)05–02/2014–खण्ड-5343पटना, दिनांक–02.09.16

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संयुक्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/विशेष सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 2/9/16

ज्ञापांक–1/निदे0 छात्रावास(बैठक)05–02/2014–खण्ड-5343 पटना, दिनांक–02.09.16

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(क0)/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 2/9/16

ज्ञापांक–1/निदे0 छात्रावास(बैठक)05–02/2014–खण्ड-5343 पटना, दिनांक–02.09.16

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार,पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 2/9/16

proceeding 22.08.16